भारत सरकार

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4476

बुधवार, दिनांक 20 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>हरित ऊर्जा गलियारा</u>

4476. श्री दुनू महतोः क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हरित ऊर्जा गलियारा (जीईसी) चरण-I के अंतर्गत उच्च नवीकरणीय ऊर्जा संस्थापित क्षमता वाले राज्यों में विद्युत पारेषण के लिए किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त योजना की मौजूदा स्थिति क्या है और परियोजनाओं के पूरा होने की राज्यवार संभावित समय-सीमा क्या है;

(ग) उक्त प्रयोजन के लिए अब तक स्वीकृत, जारी और व्यय की गई निधि का ब्यौरा क्या है;

(घ) हरित ऊर्जा गलियारा (जीईसी) चरण-II के अंतर्गत विहिनत राज्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन को सुगम बनाने के लिए अपनाई जा रही नवीन प्रौद्योगिकियों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क), (ख) और (ग):

इंट्रा-स्टेट ट्रांसमीशन प्रणाली ग्रीन एनर्जी कॉरिडॉर चरण-I (इनएसटीएस जीईसी-I) योजना का कार्यान्वयन आठ अक्षय ऊर्जा (आरई) समृद्ध राज्यों अर्थात आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और तमिलनाडु की राज्य ट्रांसमिशन यूटिलिटियों (एसटीयू) द्वारा किया जाता है।

इन 8 राज्यों में से 4 राज्यों अर्थात राजस्थान, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु ने सभी परियोजनाएं पूरी कर ली हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश और हिमाचल प्रदेश राज्यों को जून

2025 तक विस्तार दिया गया है; तथापि, इन राज्यों ने दिसंबर, 2025 तक और विस्तार देने का अनुरोध किया है।

स्वीकृत और जारी की गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा **अनुलग्नक** में दिया गया है-

(घ) ग्रीन एनर्जी कॉरिडॉर चरण-II (इनएसटीएस जीईसी चरण-II) योजना सात राज्यों अर्थात गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्णाटक, केरल, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में कार्यान्वित की जा रही है।

(ङ) देश में अक्षय ऊर्जा निकासी को सुगम बनाने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित नवीन प्रौद्योगिकियों की पहल की गई है:

i. कुल 12 आरई-समृद्ध क्षेत्रों में अक्षय ऊर्जा उत्पादन के वास्तविक समय पूर्वानुमान, समय-निर्धारण और निगरानी के लिए अक्षय ऊर्जा प्रबंधन केंद्रों (आरईएमसी) की स्थापना।

ii. बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों की खरीद और उपयोग के लिए दिशानिर्देश।

iii. आरई के लंबी दूरी के स्थानांतरण के लिए एचवीडीसी कॉरिडोर

iv. पंप्ड स्टोरेज परियोजनाओं के विकास के लिए दिशानिर्देश

v. सीईआरसी (सहायक सेवाएं) विनियम, 2022 के तहत ईएसएस (ऊर्जा भंडारण प्रणाली) से सहायक सेवाएं

अनुलग्नक

दिनांक 31.07.2025 की स्थिति के अनुसार इनएसटीएस जीईसी चरण- I की राज्य-वार स्थिति:

राज्य	वित्तीय प्रगति (केंद्रीय अनुदान)	
	स्वीकृत (करोड़ रु.)	जारी (करोड़ रु. में)
आंध्र प्रदेश	361.25	302.48
गुजरात	746.40	561.845
हिमाचल प्रदेश	237.28	206.658
कर्नाटक	326.50	326.50
मध्य प्रदेश	655.09	624.239
महाराष्ट्र	67.49	46.758
राजस्थान	241.35	241.35
तमिलनाडु	529.34	529.282
कुल	**3164.70**	**2839.104**

*****